

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या- 2806/नौ-एक-2014-73 सा/14
दिनांक: लखनऊ : 11 अगस्त, 2014

अधिसूचना

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और इसका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-25, सन् 2013) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल राज्य में विभिन्न स्थानीय निकायों में कार्यरत समस्त सफाई निरीक्षकों को अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2806(1)/नौ-एक-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक अगस्त, 2014 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 1000 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2806(2)/9-1-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
- (2) सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वी, विंग, चतुर्थ तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
- (3) अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, लखनऊ-226001
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- (6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत
- (9) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

11/8
11/8/14

**UTTAR PRADESH SHASAN
NAGAR VIKAS ANNUBAGH-1**

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 2806 / ix-1-2014-73 sa/14 dated AUGUST ,2014:

NOTIFICATION

N0 2806 / ix-1-2014-73sa/14
Dated Lucknow, AUGUST 11, 2014

In exercise of powers, conferred under sub-section(1) of section 20 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Act no. 25 of 2013) , the Governor is pleased to appoint all the Sanitary Inspectors working in various Local bodies in the State as the inspectors for the purposes of the said Act within the local limits of their respective jurisdiction..

By order,


SHREERPRAKASH SINGH
SACHIV.

08/08/2014

**UTTAR PRADESH SHASAN
NAGAR VIKAS ANNUBAGH-1**

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 2806 / ix-1-2014-73 sa/14 dated AUGUST ,2014:

NOTIFICATION

N0 2806 / ix-1-2014-73sa/14
Dated Lucknow, AUGUST 11, 2014

In exercise of powers, conferred under sub-section(1) of section 20 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Act no. 25 of 2013) , the Governor is pleased to appoint all the Sanitary Inspectors working in various Local bodies in the State as the inspectors for the purposes of the said Act within the local limits of their respective jurisdiction..

By order,


SHREEPRAKASH SINGH
SACHIV.